कार्यालयः प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

प्रशासनिक आदेश संख्या–35–/2021
(दिनांक–05.06.2021)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-court Allahabad Dated 04.06.2021 में दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालयों के संचालन हेतु नवीनतम दिशा–निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके अनुसार अग्रिम आदेश तक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त उक्त पत्र के अनुक्रम में परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में पूर्व में पारित निर्देशो को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से कार्य सम्पादित किया जायेगा, जो दिनांक–05.06.2021 से प्रभावी होगा–

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–1958/LXXXVII-CPC/e-court Allahabad Dated 04.06.2021 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नवर्णित अधिकारीगण के द्वारा उक्त पत्र में वर्णित न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाना है, जिसके अनुसार निम्न न्यायिक अधिकारीगण को न्यायिक कार्य करने हेतु निम्न वर्णित तिथियों के लिए नियुक्त किया जाता है–

क्र. सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	कार्य	न्यायालय का समय
1.	07.06. 2021	श्रीमती अनिता राज, प्रधान न्यायाधीश, गाजियाबाद।	केवल दीवानी प्रकृति (जैसे व्यादेश मामले एवं अन्य अत्यावश्यक आवेदन पत्र दीवानी प्रकृति) के अत्यावश्यक कार्य (Urgent work) एवं दायरा सम्बन्धी कार्य	1:00 से 1:30 PM
2.	08.06. 2021	सुश्री छवि अस्थाना, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, गाजियाबाद।	,,	1:00 से 1:30 PM
3.	09.06. 2021	श्रीमती प्रतिभा सक्सैना, द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, गाजियाबाद।	,,	1:00 से 1:30 PM
4.	10.06. 2021	श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी, तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश, गाजियाबाद।	,,	1:00 से 1:30 PM
5.	11.04. 2021	श्रीमती अर्चना रानी, पंचम अपर प्रधान न्यायाधीश, गाजियाबाद।	,,	1:00 से 1:30 PM

2. न्यायालय में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों की संख्या के आधार पर दिन प्रति दिन न्यायालय का कार्य निष्पादन करने हेतु समय समय पर निर्देश निर्गत किये जायेगें।

3. परिवार न्यायालय में केवल दीवानी प्रकृति (जैसे व्यादेश मामले एवं अन्य अत्यावश्यक आवेदन पत्र दीवानी प्रकृति) के अत्यावश्यक कार्य (Urgent work) एवं दायरा सम्बन्धी कार्य सम्पादित होगा।

4. उल्लिखित कार्य वर्चुअल मोड से न्यायालय परिसर अथवा आवासीय कार्यालय से सम्पादित किया जायेगा।

5. ई-मेल के माध्यम से दायरा एवं क्रम संख्या-3 में वर्णित दीवानी प्रकृति से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने हेतु जनपद न्यायालय, गजियाबाद में नोडल आफिसर कम्प्यूटर द्वारा सृजित की गई ई-मेल आई डी urgent.districtjudgeghaziabad@gmail.com के माध्मय से ही प्राप्त किये जायेगें।

6. विद्वान पीठासीन अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या-1958/LXXXVII-CPC/e-court Allahabad Dated 04.06.2021 के अनुपालन में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को मिलाकर केवल 30 प्रतिशत कर्मचारीगण की उपस्थिति के साथ ही कार्य करना सुनिश्चित करेगें। सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व विद्वान अधिवक्तागण केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सोशल डिस्टेंन्सिग का पालन करेगें तथा मास्क का उपयोग करेगें।

7. राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश दिनांकित-20.04.2021 के अनुपालन में न्यायालय प्रत्येक शनिवार व रविवार को सेनेटाइजेशन हेतु बंद रहेगा।

8. न्यायिक अधिकारीगण दिन प्रति दिन अपने अपने न्यायालयों में निस्तारित होने वाले मामलो की सूचना कम्प्यूटर अनुभाग में सिस्टम आफिसर को उपलब्ध करायेगें, जिससे कि इस सम्बन्ध में समेकित विवरण की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को ई-सर्विस मोड्यूल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

अनिता राज

(अनिता राज) 5/6/2021

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

गाजियाबाद।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
गाजियाबाद